न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

दावा सं0— 276/2013

प्रविष्टि दिनांक —20.11.2013

उनवान

1. श्रीमती हंसा पत्नि श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील जिला टोंक
2. प्रवीण पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक (राज0)
3. सुलोचना पुत्री श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका व माता श्रीमती हंसा पत्नि रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)

— वादीगण

बनाम

1. नन्ने खां पुत्र श्री दीन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कायमखानियों की गली, मेहन्दीबाग, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. रामकरण पुत्र श्री रामपाल जाति जाट निवासी निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3. रामप्रसाद पुत्र मेहराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
4. ~~मु0 केसर धर्मपत्नि स्व0 मेहराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तह0 जिला टोंक (राज0)(डिलिट)~~
5. छीतर पुत्र रामपाल निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
6. रामप्रसाद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
7. संतरा पुत्री रामपाल निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
8. मु0 रामप्यारी पत्नि स्व0 रामपालनिवासी ग्राम डारडाहिन्द तह0 जिला टोंक (राज0)
9. छीतर पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
10. लादू पुत्र श्योराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
11. राधाकिशन पुत्र श्योराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक (राज0)
12. जमना पुत्री श्योराम जाति जाटनिवासी ग्राम डारडाहिन्द तह0 व जिला टोंक (राज0)
13. तहसीलदार टोंक जिला टोंक (राज0)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री सीताराम विजय — अधिवक्ता वादीगण
श्री शहाब अहमद खान — अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दावा उद्घोषणा,स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक — 29/01/2021.

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

वादपत्र यह है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 618 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 621 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 1051 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 2706 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 2856 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 3089 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3276 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नं0 3353 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 02 का 1/9 हिस्सा है। भूमि आराजी खसरा नं0 3331 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 2 का 1/24 हिस्सा है। वादपत्र के चरण सं0 1 व 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है, इस कारण वादीगण का प्रतिवादी सं0 2 के साथ बराबर–बराबर हिस्सा है यानि वादपत्र के चरण सं0 01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का 3/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 का 1/36 हिस्सा है। वादपत्र के चरण सं0 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का 3/96 तथा प्रतिवादी सं0 2

का 1/96 हिस्सा है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त वर्णित आराजीयात में राजस्व रिकार्ड के अनुसार उसके नाम अंकित उक्त आराजीयात के 1/9 हिस्से को 350000/– रूपये में प्रतिवादी सं0 01 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 18.10.2013 को विक्रय कर दिया है, जबकि भूमि पुश्तैनी होने से प्रतिवादी सं0 02 को उक्त भूमि तन्हा रूप से विक्रय करने का अधिकार नही था। इस कारण उक्त विक्रयपत्र वादीगण के हितो के प्रति शून्य है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के हक में विक्रयपत्र का पंजीयन निष्पादन करा देने से अब प्रतिवादी सं0 2 उक्त आराजीयात में वादीगण का उक्तानुसार हिस्सा मानने से मना करने लगे है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 वादीगण को उक्त भूमि के उक्तानुसार हिस्से का वास्तविक खातेदार, काश्तकार होने से मना करने लगे है। इस कारण यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादीगण वादपत्र के चरण सं0 1 में वर्णित आराजीयात के 3/36 हिस्से तथा वादपत्र के चरण सं0 2 में वर्णित आराजीयात के 3/36 हिस्से के खातेदार, काबिज काश्तकार है। वादीगण का वादपत्र के चरण सं0 1 में वर्णित आराजीयात के 3/36 हिस्से तथा वादपत्र के चरण सं0 2 में वर्णित आराजीयात के 3/96 हिस्से की भूमिपर वादीगण का हक व अधिकार होने से व कब्जा होने से प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त भूमि को वास्तविक रूप से प्रतिवादी सं0 1 को सुपुर्द भी नही की है। इस कारण वास्तविक कब्जा नही देने से भी उक्त विक्रयपत्र कानूनन वादीगण के हितो के प्रति शून्य है, जिसे शून्य करार दिया जावे। अतः निवेदन है कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1व 2 बाबत उद्घोषणा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि वादीगण वादपत्र के चरण सं0 1 में अंकित आराजीयात खसरा नं0 389 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 618 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 621 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 1051 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 2706 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 2856 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 3089 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3276 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नं0 3353 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राजस्थान के 3/36 हिस्से के तथा वादपत्र के चरण सं0 2 में अंकित आराजी खसरा नं0 3331 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राजस्थान के 3/96 हिस्से के खातेदार, काबिज काश्तकार है, तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 01 व 2 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को सदा सर्वदा के लिये पाबंद किया जावे कि वे वादपत्र के चरण सं0 1 में अंकित आराजीयात के 1/9 हिस्से में तथा वादपत्र के चरण सं0 2 में अंकित आराजी के 1/24 में विधिवत तकासमा होने से पूर्व किसी तरह की मजाहमत व मदाखलत नही करे तथा भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान, दान नही करे।

वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सम्वत 2059–62 वाके ग्राम डारडाहिन्द व प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रयपत्र बहक नन्ने खां दिनांक 18.10.2013 आदि दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ने जरिये अभिभाषक जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार दावे के मद नं0 3 में वादी द्वारा वादपत्र के चरण नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी को दावे में बतायी पुशतैनी भूमि नही है। प्रतिवादी नं0 2 बेचानशुदा भूमि का तन्हा मालिक व काश्तकार था। प्रति0नं0 2 ने दिनांक 18.10.2013 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा 350000/– तीन लाख पचास हजार रूपये में प्रतिवादी नं0 2 ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादीनं0 1 के हकमें किया

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

और मौके पर मालिकाना कब्जा करा दिया। प्रतिवादी नं0 2 ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं0 1 को बेचान की है। प्रतिवादी नं0 2 ने जिस भूमि को बेचान किया है, वह उसके हिस्से की भूमि है। दावे के चरण नं0 3 वादीगण ने जिस भूमि को पुश्तैनी भूमि बताया है गलत है अस्वीकार है। दावे के नं0 4 में वादी ने जो स्वयं का हिस्सा 3/36 व 3/96 का हिस्सा मांगा है, गलत है वादी का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी नं0 2 18.10.2013 को जरिये रजि0 विक्रयपत्र द्वारा नकद राशि प्राप्त करके मौके पर रूबरू गवाहान कब्जा सुपुर्द दिया था, इस कारण से वादी द्वारा यह अंकित करना कि विक्रय पत्र पर कानूनन वादीगण का हित शून्य लिखा गया है, गलत है स्वीकार नही है। वादपत्र का चरण नं0 16 में भाग अ में जो प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध उद्घोषणा चाही है गलत है स्वीकार नही है। आराजीयात खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 618 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 621 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 1051 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 2706 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 2856 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 3089 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3276 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नं0 3353 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राजस्थान व आराजी खसरा नं0 3331 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक राजस्थान रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 के हक में अमल कराया जावे। काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 18.10.2013 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी नं0 2 से उपरोक्त आराजीयात जिसमें प्रतिवादी नं0 2 का हिस्सा था, खरीद किया था मौके पर कब्जा प्राप्त किया था रोबरू गवाहान कब्जा प्राप्त किया था, सम्पूर्ण राशि प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 2 को अदा की थी, ऐसी स्थिति में वादीगण को पाबन्द किया जावे प्रतिवादी नं0 1 की खरीदशुदा भूमि में किसी प्रकार उसके कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे और पाबन्द रहे। अतः जवाब व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 के हक में डिक्री किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से उक्त मुकदमें में राजीनामा किया जा इस प्रकार से है कि वादीगण शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण कोई अनुतोष नही चाहते है। राजीनामा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 618 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 621 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 1051 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 2706 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 2856 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 3089 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3276 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नं0 3353 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक, जिसमें प्रतिवादी सं0 2 का 1/9 हिस्सा है तथा खसरा नं0 3331 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक जिसमें प्रतिवादी सं0 2 का 1/24 हिस्सा है। उक्त प्रतिवादी सं0 2 ने अपने हक व हिस्से की उक्त आराजीयात को 350000/–रूपये अक्षरे तीन लाख पचास हजार रूपये में प्रतिवादी सं0 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 18.10.2013 को विक्रय किया है। राजीनामा के अनुसार उक्त विक्रयपत्र की प्रतिफल राशि नगद प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 को लौटा दिये है। प्रतिवादी सं0 2 ने प्रतिवादी सं0 1 को उक्तानुसार उक्त वादग्रस्त भूमिका विक्रयपत्र पंजीबद्ध करवाया है, यह विक्रयपत्र वादीगण के हितो के प्रति शून्य होने से उसे शून्य करार दिया जावे। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि, जिसका विक्रयपत्र दिनांक 18.10.

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

2013 को पंजीवद्ध हुआ है, वह इस राजीनामा के अनुसार शून्य हो गया है तथा प्रतिवादी सं0 1 व उसके वारिसान उक्त विक्रयपत्र के आधार पर अब वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज नही करवायेंगे तथा उनका अब उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार इस राजीनामा के आधार पर निरस्त हो गया है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 2 के नाम ही बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है, वह यथावत प्रतिवादी सं0 2 की खातेदारी मे ही रहेगी। वादीगण, प्रतिवादी सं0 3 ता 13 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहते है। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। अतः प्रार्थनापत्र राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रयपत्र दिनांक 18.10.2013 जो प्रतिवादी सं0 2 से प्रतिवादी सं0 1 के हक में पंजीवद्ध हुआ है, उसे वादीगण के हितो के प्रति शून्य करार दिया जावे तथा उस विक्रयपत्र के आधार पर अब वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का कोई हक व अधिकार नही रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 2 के पूर्व की भांति खातेदारी व कब्जेकाश्त में रहेगी।

पक्षकारों को राजीनाम पढकर सुनाया बाद स्वीकारोक्ति राजीनामा तस्दीक किया गया। चूँकि मुताबिक राजीनाम प्रतिवादी को विक्रय की राशि प्राप्त हो चुकी है इसलिए प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं रह गया है। वादग्रस्त भूमि को लेकर किया गया विक्रय अब प्रभावहीन हो गया है। विक्रयपत्र के क्रम में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में हस्तांतरित नहीं हुयी है। भविष्य में उक्त विक्रय पत्र के दुरूपयोग को रोकने के लिए मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बराऐ रखने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादीगण का दावा निर्णित किया जाना न्यायहित में किये जाना उचित रहेगा।

आदेश

अतः मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 618 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 621 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 1051 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 2706 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 2856 जरकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 3089 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3276 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नं0 3353 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक, तथा खसरा नं0 3331 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक प्रतिवादी सं0 2 के पूर्व की भांति खातेदारी में यथावत रहेगी। प्रतिवादी सं0 1 राजस्व रिकार्ड में विक्रयपत्र के आधार पर भूमि अपने नाम नहीं करवा सकेगा। राजीनामा इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 29/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

1. श्रीमती हंसा पत्नि श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील जिला टोंक
2. प्रवीण पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक (राज0)
3. सुलोचना पुत्री श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक नावालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका व माता श्रीमती हंसा पत्नि रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. नन्ने खां पुत्र श्री दीन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कायमखानियों की गली, मेहन्दीबाग, टोंक तहसील व जिला टों
2. रामकरण पुत्र श्री रामपाल जाति जाट निवासी निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3. रामप्रसाद पुत्र मेहराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
4. ~~मु0 केसर धर्मपत्नि स्व0 मेहराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तह0 जिला टोंक (राज0)(डिलिट)~~
5. छीतर पुत्र रामपाल निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
6. रामप्रसाद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
7. संतरा पुत्री रामपाल निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
8. मु0 रामप्यारी पत्नि स्व0 रामपालनिवासी ग्राम डारडाहिन्द तह0 जिला टोंक (राज0)
9. छीतर पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
10. लादू पुत्र श्योराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक जिला टोंक (राज0)
11. राधाकिशन पुत्र श्योराम निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक (राज0)
12. जमना पुत्री श्योराम जाति जाटनिवासी ग्राम डारडाहिन्द तह0 व जिला टोंक (राज0)
13. तहसीलदार टोंक जिला टोंक (राज0)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री सीताराम विजय — अधिवक्ता वादीगण
श्री शहाब अहमद खान — अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दावा उद्घोषणा,स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

दावा सं0— 276/2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि

मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 618 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 621 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 1051 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 2706 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 2856 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 3089 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 3276 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नं0 3353 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक तथा खसरा नं0 3331 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक प्रतिवादी सं0 2 के पूर्व की भांति खातेदारी में यथावत रहेगी। प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में विक्रयपत्र के आधार पर भूमि अपने नाम नहीं करवा सकेगा। राजीनामा इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29/1/2021 को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीशान			मिजान		

नोटः—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।